

सर्वोच्च न्यायालय सुधार: क्षेत्रीय पीठों का मामला

यह एडिटरियल 23/02/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "Should India have regional benches of the Supreme Court?" लेख पर आधारित है। इसमें एक संसदीय समिति के उस प्रस्ताव पर विचार किया गया है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की वकालत की गई है।

प्रलम्ब के लिये:

[अनुच्छेद 130](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#), [वधि आयोग](#), [बार काउंसिल](#), [मलमिथ समिति](#), [भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसरचना प्राधिकरण \(NJIAI\)](#)।

मेन्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क।

कार्मिक, लोक शिकायत, वधि एवं न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में लोकसभा को अवगत कराया कि विधि मंत्रालय ने देश भर में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के उसके प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के विचार को बार-बार अस्वीकृत किया गया है और यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों पर भिन्न-भिन्न वधिक स्थितियाँ:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130:** इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें [भारत का मुख्य न्यायाधीश](#), राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नयित करे।
- वधि आयोग की रिपोर्ट:** न्यायालय को और अधिक अभिगम्य बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में [वधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट \(2009\)](#) ने गैर-संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिये दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में चार क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की सफ़ारिश की थी।
- बार काउंसिल:** जुलाई 2021 में दक्षिण भारत के [बार काउंसिल्स \(Bar Councils\)](#) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें मांग की गई कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित की जाए।
- संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट:** कार्मिक, लोक शिकायत, वधि एवं न्याय संबंधी [संसदीय स्थायी समिति](#) ने 'वधि एवं न्याय मंत्रालय की अनुदान मांग (2021-22)' पर अपनी 107वीं रिपोर्ट पेश की और वधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की वकालत की।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश:** अभी तक, भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली से बाहर अधिविष्ट करना उचित नहीं समझा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने क्षेत्रीय पीठों की अवधारणा में बहुत कम रुचि दिखाई, जहाँ उन्होंने यह चिंता प्रकट की कि इससे सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा कम हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के पक्ष में तर्क:

- बेहतर अभिगम्यता:**
 - संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी में न्याय तक अभिगम्यता में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
 - क्षेत्रीय पीठें दूर-दराज के इलाकों या राजधानी से दूर रहने वाले लोगों के लिये न्याय को और अधिक सुलभ या अभिगम्य बनाएँगी। इससे व्यक्तियों के लिये, विशेष रूप से वृत्तीय या लॉजिस्टिकल चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिये, वधिक मामले हेतु दिल्ली जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- संवैधानिक मामलों पर अधिक ध्यान दे सकना:**
 - इससे **नई दिल्ली** में अवस्थित प्राथमिक पीठ द्वारा विशेष रूप से संवैधानिक मुद्दों को संबोधित करने के साथ, अन्य अपीलीय मामलों के वचिलन के बिना जटिल संवैधानिक मामलों के न्यायनर्णयन के लिये एक समर्पित मंच का निर्माण हो सकेगा।
 - क्षेत्रीय पीठें अपीलीय मामलों के प्रबंधन में विशेषज्ञता रख सकती हैं, जिससे न्यायाधीशों को अपने संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित कानून के विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने की अनुमति मिल सकती है। इस विशेषज्ञता से अधिक सूचना-संपन्न नर्णय लिये जा सकते

हैं।

■ बेहतर न्यायिक प्रभावशीलता:

- क्षेत्रीय पीठें उन स्थानीय मुद्दों और चर्चाओं को संबोधित करने के लिये बेहतर स्थिति में होंगी जनि पर राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता है। क्षेत्रीय संदर्भों से परिचित न्यायाधीश अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी नरिणय दे सकते हैं।
- क्षेत्रीय पीठें स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाजों से परिचित न्यायाधीशों द्वारा मामलों को अधिक कुशलता से संभालने की अनुमति देंगी। इस विशेषज्ञता से त्वरति और अधिक सूचना-संपन्न नरिणय लेने में मदद मलि सकती है।


■ वृहत अवसर:

- क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से देश के वभिन्न हस्सिों में कानूनी अवसररचना एवं विशेषज्ञता के विकास को बढ़ावा मलि सकता है, स्थानीय कानूनी पेशेवरों को सशक्त बनाया जा सकता है और ज़मीनी स्तर पर कानूनी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
- क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से वृहत अवसरों के द्वार खुलेंगे और 'बार' (Bar) का लोकतंत्रीकरण होगा।

■ लंबति मामलों में कमी:

- वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2022 की तुलना में मामलों के नपिटान में 31% की वृद्धि देखी गई। वर्तमान में 80,000 से अधिक मामले नरिणय के लिये लंबति हैं, जनिमें से 60,000 दीवानी मामले हैं।
- क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से न्यायाधीशों के साथ-साथ अधिविक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप हमारी न्यायिक प्रणाली को अत्यंत आवश्यक बढ़ावा मलि सकेगा।
- क्षेत्रीय पीठें सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को वकिंदरीकृत कर दलिली में मुख्य पीठ पर के बोझ को कम करने में मदद कर सकती हैं। इससे मामलों का द्रुत समाधान हो सकेगा और लंबति मामलों में कमी आएगी।

//



सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के वपिक्ष में तरक:

■ न्यायशास्त्र का वखिंडन:

- क्षेत्रीय पीठें कानूनों और कानूनी सदिधांतों की भनिन-भनिन व्याख्याओं को जन्म दे सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के वभिन्न क्षेत्रों में न्यायिक नरिणयों में वसिंगतयिों उत्पन्न हो सकती हैं।
- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने तो यहाँ तक आशंका जताई थी कि इससे संस्था का ही वधिटन हो सकता है।

■ वाद या मुकदमेबाजी की वृद्धि:

- जबकि सर्वोच्च न्यायालय में दायर अधिकांश मामले दलिली के नकिट स्थिति उच्च न्यायालयों से आते हैं, केवल क्षेत्रीय पीठों के गठन से इस असंतुलन को दूर नहीं किया जा सकेगा।
- क्षेत्रीय पीठ संभावति रूप से नरिर्थक या फोरम-शॉपिंग लटिगेशन (forum-shopping litigation) को बढ़ा सकती हैं क्योंकि वादी ऐसी पीठों से अनुकूल परिणाम की इच्छा रखेंगे जनिके बारे में धारणा हो कि वे उनके मामलों के प्रत अधिक सहानुभूति रखेंगी।

■ संभावति पूरवाग्रह और प्रभाव:

- क्षेत्रीय पीठों में न्यायिक नरिणयों को प्रभावति करने में क्षेत्रीय पूरवाग्रहों या राजनीतिक प्रभाव की संभावना के बारे में भी चर्चाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ प्रबल स्थानीय हति या राजनीतिक दबाव मौजूद हों।
- क्षेत्रीय पीठों में नयुक्त न्यायाधीशों की गुणवत्ता एवं विशेषज्ञता, विशेष रूप से दलिली में मुख्य पीठ के अनुभवी न्यायाधीशों की तुलना में, को लेकर भी चर्चाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इससे न्यायिक नरिणयों की सुसंगत एवं विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।

■ संसाधनों और अवसररचना पर वय्य की वृद्धि:

- क्षेत्रीय पीठों की स्थापना एवं रखरखाव के लिये अदालती सुवधाओं और सहायक कर्मचारियों सहति अवसररचना में उल्लेखनीय वत्तीय संसाधनों एवं नविश की आवश्यकता होगी। इससे पहले से ही सीमति न्यायिक संसाधनों और बजट पर दबाव पड़ सकता है।

- उल्लेखनीय है कि देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत 1,114 पदों की तुलना में 347 पद रिक्त हैं।
- इसी प्रकार, ज़िला न्यायापालिका में, न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 25,081 पदों में से केवल 19,781 पद ही कार्यशील थे। ज़िला जजों के 5,300 पद रिक्त बने हुए हैं।

आगे की राह:

- **अपीलीय क्षेत्राधिकार पीठों से संवैधानिक क्षेत्राधिकार पीठों का पृथक्करण:** भारत के 10वें वधिआयोग ने प्रस्ताव किया था कि सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रभागों में विभाजित किया जाए: संवैधानिक प्रभाग और वधिक प्रभाग।
 - प्रस्ताव में कहा गया है कि केवल संवैधानिक कानून से संबंधित मुद्दों को प्रस्तावित संवैधानिक प्रभाग में लाया जाए।
- **वशिष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions- SLPs) के लिये एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना करना:** 'बहिर लीगल सपोर्ट सोसाइटी बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश' मामले (1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय (National Court of Appeal) की स्थापना करना 'वांछनीय' है जो वशिष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने में सक्षम होगा।
 - इससे सर्वोच्च न्यायालय को केवल संवैधानिक एवं सार्वजनिक कानून से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने का अवसर मल्लि सकेगा।
- **कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाना:** **मलमिथ समिति (Malimath Committee)** ने सुझाव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को 206 दिनों के लिये कार्य करना चाहिये और सफ़िरशि की कलिंबति मामलों को ध्यान में रखते हुए अवकाश की अवधि को 21 दिनों तक कम कर दिया जाना चाहिये।
 - वर्ष 2009 के वधिआयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया कि लिंबति मामलों के निपटान के लिये न्यायापालिका के सभी स्तरों पर न्यायालय के अवकाश में 10-15 दिनों की कटौती की जानी चाहिये।
- **मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** न्याय तक पहुँच में सुधार और मामलों के 'बैकलॉग' को कम करने के लिये उच्च न्यायालयों एवं ज़िला न्यायालय सहित मौजूदा न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने एवं उनके आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाए।
 - भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने **भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (National Judicial Infrastructure Authority of India- NJIAI)** की स्थापना का प्रस्ताव किया था, जो न्यायिक अवसंरचना को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- **व्यवहार्यता अध्ययन का आयोजन करना:** क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के संभावित लाभों, चुनौतियों और नहितार्थों का आकलन करने के लिये संपूरण व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किये जाएँ। इन अध्ययनों में वधिक, लॉजिस्टिकल, वलित्तीय एवं संवैधानिक पहलुओं जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिये।
 - न्याय तक पहुँच, न्यायिक दक्षता और नरिणयों की सुसंगत पर क्षेत्रीय पीठों की प्रभावशीलता एवं असर का मूल्यांकन करने के लिये चुनदि स्थानों पर पायलट परियोजनाओं या प्रायोगिक क्षेत्रीय पीठों को क्रयान्वति करने पर विचार करें।
- **अनन्य शक्तिको अक्षुण्ण बनाए रखना:** भले ही क्षेत्रीय पीठ स्थापति की जाएँ, सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अनन्य या वशिषिट शक्तियों अक्षुण्ण रखी जानी चाहिये। इनमें संवैधानिक **अनुच्छेद 131** के तहत इसका मूल क्षेत्राधिकार, **अनुच्छेद 143** के तहत इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार और संवैधानिक **अनुच्छेद 32** के तहत इसका रटि क्षेत्राधिकार शामिल हैं।
- **व्यापक न्यायिक सुधार:** न्यायिक बैकलॉग, न्याय वतिरण में देरी और न्यायिक रकित्तियों जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से व्यापक न्यायिक सुधार की ओर आगे बढ़ा जाए, जो कानूनी प्रणाली के समग्र कार्यकरण में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
 - न्याय तक पहुँच बढ़ाने और दूरस्थ न्यायनरिणयन को सुगम बनाने (वशिष रूप से दूरदराज या वंचित क्षेत्रों में) के लिये 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' और '**वरचुअल कोर्ट रूम**' जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार किया जाए।

नषिकर्ष:

- भारतीय न्यायापालिका के भवषिय की कल्पना करते समय हमें एक साहसिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो परंपरा को नवाचार के साथ, क्षेत्रीय वविधिता को राष्ट्रीय एकता के साथ और अभगिम्यता को उत्कृष्टता के साथ संतुलित करता हो।
- सर्वोच्च न्यायालय के लिये क्षेत्रीय पीठों की स्थापना इस दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्त्वपूर्ण प्रगतिका संकेत दे सकती है, जो सभी नागरिकों के लिये अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं प्रभावी न्याय प्रणाली प्रदान करने की क्षमता रखती है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिये क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????

प्रश्न. भारतीय न्यायापालिका के संदर्भ में नमिनलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कसि भी सेवानवित्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपतिकी पूरव अनुमतिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिये वापस बुलाया जा सकता है।
2. भारत में एक उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के नरिणय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो मैं और न ही 2

उत्तर: c

??????:

प्रश्न. भारत में उच्च न्यायापालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-reform-the-case-for-regional-benches>

